

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

पत्रांक: सं०सं०-230 / बी०एन०आर०सी० / 2019 / 1919/BNRC स्वास्थ्य, पटना, दिनांक 20-09-22

दीपक राज सेवा संगम, भभुआ, कैमुर द्वारा संचालित माँ मुण्डेश्वरी पारामेडिकल एण्ड

ए०एन०एम० ट्रेनिंग संस्थान, भभुआ, कैमुर के अन्तर्गत ए०एन०एम० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक 4229 / बी०एन०आर०सी०, दिनांक 22.12.2021 के द्वारा डा० विपिन कुमार(संविदा), अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जाँचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित सीटों पर शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता का अवधि विस्तार किया जाता है।

2-यह अवधि विस्तार जिला पदाधिकारी, कैमुर से प्राप्त होने वाले निरीक्षण प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

3-प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह/०-

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकसं०सं०-230 / बी०एन०आर०सी० / 2019 / 1919/BNRC पटना, दिनांक 20-09-22

प्रतिलिपि :- सचिव, माँ मुण्डेश्वरी पारामेडिकल एण्ड ए०एन०एम० ट्रेनिंग संस्थान, भभुआ, कैमुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, स्वा०विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20.9.22

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

GH